(ञ) गैर–सरकारी निदेशक

88 (1) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर–सरकारी निदेशकों के संबंध में सतर्कता संबंधी अनापत्ति

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने वाले गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए सतर्कता संबंधी क्लियरेंस की आवश्यकता से संबंधित वर्तमान शर्तें और कार्य विधियां ऐसे बोर्डों में उच्च प्रतिष्ठा के व्यावसायिकों के आ जाने से व्यावहारिक अड़चने पैदा कर रही हैं।

2. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि सतर्कता संबंधी क्लियरेंस व सतयनिष्ठा प्रमाणपत्र प्राप्त करने आवश्यक नहीं होंगे। जैसा कि वर्तमान समय में निर्धारित है। इसके स्थान पर अब निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निदेशक का पद संभालने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 274 या अन्य संगत धाराओं के अनुसार किसी भी तरह अयोग्य नहीं है। उन पर किसी भी नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध के लिए न तो आरोप लगाया गया है और न ही किसी आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सरकार के उपर्युक्त निर्णयों पर ध्यान दें और संशोधित प्रक्रिया का तत्काल पालन करें।

(डी पी ई का 10 अक्तूबर, 1997 का का.ज्ञा. सं. 18(3)/97 जी एम)